

प्राथमिक डिगरी वुमकदमें इब्दाई

(ऑ. 21 रूल 6.7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम भीम

वईजलास- श्री दूदाराम आर.ए.एस.

वादीगण:-	वनाम	प्रतिवादीगण :-
श्री अजयपालसिंह पुत्र केशरसिंह रावत निवासी धर्मेशपुरी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द		01.श्री घनश्यामसिंह पुत्र नेनुसिंह रावत 02.श्रीमती दाखुदेवी पत्नि नेनुसिंहरावत 03.श्री श्यामसिंह पुत्र नेनुसिंह रावत 04.श्री सत्यनारायणसिंह पुत्र नेनुसिंह रावत 05.श्री सुरजसिंह पिता नेनुसिंह रावत 06.श्री ठाकूरसिंह पुत्र तेजसिंह रावत 07.श्री दिनेशसिंह पुत्र जोरावरसिंह रावत 08.श्री दिलीपसिंह पुत्र जोरावरसिंह रावत 09.श्रीमती मोहनीदेवी पत्नि जोरावरसिंह रावत 10.श्री रणजीतसिंह पुत्र जोरावरसिंह रावत 11.श्री सन्तोपकुमारसिंह पुत्र जोरावरसिंह रावत 12.श्री भंवरसिंह पुत्र फतहसिंह रावत 13.श्री मोहनसिंह पुत्र फतहसिंह रावत 14.श्री सोहनसिंह पुत्र फतहसिंह रावत समस्त निवासीयान नन्दावट तहसील भीम जिला राजसमन्द 15.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88 आर.टी.एक्ट. 1955

मुकदमा नम्बर 154/2023 रे0वाद

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी अधिवक्ता एवं अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलास को डिगरी दी जाती है कि वाद पत्र के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित तहसील भीम मौजा नन्दावट पटवार हल्का टोगी के खाता संख्या 868 में वर्णित खसरा नम्बर 1383, 1388, 1394 कुल किता 03 रकबा 0.9429 है0 भूमि की कृषि आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 14 तक 3/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तदनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 के मध्य विभाजन बाबत राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं BY METES & BOUNDS के आधार पर स्थाई संरचनाओं को छोड़ते हुए विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1956 के नियम 18 से 22 की पालना करते हुये बमाह में पेश करें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.06.2025 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर  
भीम  
उपखण्ड अधिकारी, भीम  
जिला - राजसमन्द